उत्तर प्रदेश शासन

नियोजन अनुभाग-1

संख्या: 32/2018/148बीपी/35-1-2018-8/1(11)/2018

लखनऊ: दिनांक : 28 दिसम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

पूर्वान्चल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को गति देने के लिये पूर्वान्चल विकास बोर्ड गठित किये जाने का निश्चय किया गया है। यह बोर्ड पूर्णतया परामर्शी संस्था के रूप में होगा, जो अपनी संस्तुतियां देगा। तत्क्रम में बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष का निर्धारित करते हुए उसके स्वरूप, कार्य एवं कार्यक्रमों के समयबद्ध/सुचारू क्रियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं,जो निम्नवत् है:-

(1) अध्यक्ष	--	मा0 मुख्यमंत्री जी अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति
(2) उपाध्यक्ष	--	02 (मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित)
(3) गैर सरकारी सदस्य	--	11 (मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित)
(4) विशेषज्ञ	--	02 (मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ जिन्हें कृषि, पशुपालन, डेयरी, औद्यानिकी विकास, जल प्रबन्धन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के सम्बंध में पूर्वान्चल क्षेत्र में कार्य का विशिष्ट अनुभव हो)
(5) सरकारी सदस्य	--	1- मुख्य सचिव 2- समाज कल्याण आयुक्त 3- कृषि उत्पादन आयुक्त 4- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त 5- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त 6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिचाई एवं जल संसाधन 7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,ऊर्जा 8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,लोक निर्माण 9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,बेसिक शिक्षा 10- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,चिकित्सा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

11- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,ग्राम्य विकास

12- मण्डलायुक्त,(प्रयागराज/ वाराणसी /विन्ध्यान्चल/ आजमगढ़/ गोरखपुर/ बस्ती/ देवीपाटन/ अयोध्या)

(6) सदस्य सचिव -- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग।

(7) विशेष आमंत्री -- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (कृषि/पशुपालन/दुग्ध/मत्स्य/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/आवास एवं शहरी नियोजन/नगर विकास/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन/हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग/खादी एवं ग्रामोद्योग/ पर्यटन/ अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत/व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग)

(सदस्य जिन्हें यथावश्यकता आमंत्रित किया जाएगा)

-- (जिलाधिकारी-प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, वाराणसी, जौनपुर, चन्दौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, संतरविदास नगर भदोही, आजमगढ़, बलिया, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज़, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराईच, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर एवं अमेठी)

-- कुलपति, वीर बहरादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।

-- कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या (फैजाबाद) ।

-- कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

-- कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

-- प्रधानाचार्य, बी0आर0डी0मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

2. पूर्वान्चल विकास बोर्ड के कार्य निम्नवत् होंगे:-

(1) पूर्वान्चल क्षेत्र के समग्र विकास हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना।

(2) पूर्वान्चल क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के अवरोधक तत्वों/कारणों का अभिज्ञान एवं उनके निराकरण के उपाय सुझाना।

(3) दीर्घकालीन, मध्यकालीन एवं अल्पावधि की प्राथमिकताएं तय करना तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास की समग्र कार्य योजना बनाना।

(4) कार्य योजना के अनुरूप विभागीय योजनाओं से समेकन।

(5) अन्तर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित कराना।

(6) जनपदों में अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के उपाय सुझाना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) पूर्वान्चल क्षेत्र में कृषि एवं संवर्गीय सेक्टरों की उन्नति एवं कृषकों की आय को बढ़ाने हेतु मूल्य संवर्धन और निर्यात केन्द्रित क्षेत्रों को अभिज्ञानित करते हुए निवेश हेतु दिशा निर्देश देना।

(8) विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर एग्रो-प्रोसेसिंग, पर्यटन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, हस्तशिल्प, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा आदि क्षेत्रों में निजी, घरेलू एवं विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु रणनीति विकसित करना।

(9) सतही जल स्रोतों का विकास एवं संवर्धन के उपाय सुझाना।

(10) अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु रोड मैप तैयार कराना।

(11) ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर में सुधार हेतु कार्यक्रमों को लागू कराना।

(12) पूर्वान्चल क्षेत्र में शिक्षा एवं चिकित्सा की गुणवत्ता में सुधार हेतु योजनाओं को लागू कराना।

(13) निवेशकों को आकर्षित करने हेतु उपायों को अभिज्ञानित करना।

(14) भारत सरकार से अतिरिक्त संसाधनों को प्राप्त करने हेतु सुझाव देना।

(15) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहयोग लेना तथा उनसे संसाधनों को प्राप्त करने हेतु सुझाव देना।

(16) निजी क्षेत्र का विकास कार्यों में सकारात्मक सहयोग लेना।

(17) रोजगार के नवीन अवसर सृजित करने हेतु उपायों को सुझाना एवं उन पर कार्यवाही कराना।

(18) बाढ़ प्रबन्ध के लिए ठोस उपाय सुझाना।

(19) पूर्वान्चल विकास निधि के कार्यों का अनुश्रवण।

3. पूर्वान्चल विकास बोर्ड की बैठक प्रत्येक तीन माह में अथवा उससे पूर्व, यदि आवश्यक हो, तो मा0 अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा आहूत की जायेगी।

4. सामान्य परिस्थितियों में बोर्ड की बैठक आहूत किये जाने हेतु दो सप्ताह की नोटिस आवश्यक होगी, किन्तु अपरिहार्यता की स्थिति में एक दिन की अल्प अवधि की नोटिस पर भी बैठक बुलायी जा सकती है।

5. बोर्ड के निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु सम्बंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट में यथेष्ट प्रावधान कराया जायेगा।

6. बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी महानुभाव को विशेष आमंत्री के रूप में आबद्ध किया जा सकेगा, परन्तु बोर्ड की बैठकों में भाग लेने हेतु उन्हें किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. मा0 मुख्यमंत्री जी की अनुमति से बोर्ड के किसी भी सदस्य को कभी भी पृथक् किया जा सकेगा।

8. मा0 मुख्यमंत्री जी की अनुमति से बोर्ड के कार्यों में यथावश्यक संशोधन/परिमार्जन किया जा सकेगा।

9. गैर सरकारी सदस्य/विशेषज्ञों को बोर्ड की बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप सुविधायें अनुमन्य होंगी।

10. नियोजन विभाग के अंतर्गत स्थापित क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर भवन, लखनऊ, उ0प्र0 पूर्वान्चल विकास बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:32/2018/148बीपी(1)/35-1-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. पूर्वान्चल विकास बोर्ड के समस्त सदस्य / विशेष आमंत्री।
6. निदेशक, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर भवन, लखनऊ।
7. नियोजन विभाग/ राज्य योजना आयोग के समस्त अधिकारी/ अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।